रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 1987/अग्रहायण 23, 1909
No. 627] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 1987/AGRAHAYANA 23, 1909

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1987

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. 1083(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 72क के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 710 (अ), तारीख 11

अक्तूबर, 1977 का भागतः उपान्तरण करते हुए, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उक्त धारा 72क की उपधारा (2) के खण्ड (II) के प्रयोजनों के लिये जहां तक रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन का प्रश्न है, "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा.सं. 14-एस/ए/87-ए एण्ड ए सी-1]

जी. एन. गुप्ता, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

INCOME TAX

New Delhi, the 14th December, 1987

S.O. 1083(E).—In pursuance of clause (b) of Explanation to Section 72A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 710(E), dated the 11th October, 1977, the Central Government hereby specifies the Board for Industrial and Financial Reconstruction, established under section 4 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) as the "Specified Authority" for the purposes of clause (ii) of sub-section (2) of the said Section 72A in so far as amalgamation of a sick industrial company with another company under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, is concerned.

[F. No. 14-SA/87-A&PAC-1.]

G. N. GUPTA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987